

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला मध्यी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (4.00किमी)

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त

विवरण:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला मध्यी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (4.00किमी)

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप:-
(मानवित्र संलग्न है)

ग) परियोजना की लागत:- ₹0लाख।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य:- (स्थानीय ग्रामों का विकास)

ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए):- (संलग्न है)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है:- लघु उद्योग, कृषि, बागवानी इत्यादि

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार

विवरण:

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या:- शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या- शून्य

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए):- लागू नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?

(हाँ/नहीं):- हाँ

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा:- (संलग्न हैं)

५१

सहायक अधिकारी (I)
निर्माण खण्ड लो०निं०विं०
पांच पौड़ी (गढ़वाल)

दिनांक / /

स्थान- पौड़ी

प्रयोक्ता एजेन्सी अधिकारी
आधिकारी अधिकारी
निर्माण खा० ड० लो०निं०विं०
पांच पौड़ी (गढ़वाल)

नाम मोहर


प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति— जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थेलीसैन में चेरी बंगला मधी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (4.00 किमी)

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र— उत्तराखण्ड।

(ii) जिला— पौड़ी गढ़वाल।

(iii) जिला वन प्रभाग— गढ़वाल वन प्रभाग 


(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र— 2.275 हेक्टेएर

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः 2.275 हेक्टेएर भूमि


18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:


(i) वन का प्रकार 

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.5


(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना 

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी 

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का लगभग दूरी  1/2 K. M.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वता :

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा 

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) 

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) 

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) 

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किरण के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके व्यौरे 

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ री) के साथ उसका व्यौरा दें) 

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। 

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) **नहीं**

- (ii) यदि हाँ, को गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **नहीं**

- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) **नहीं**

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथ्ति **शाम-भवित्वावस्थिति**

- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।

- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष वन सीमाएं संलग्न हैं। **हाँ**

- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं) **हाँ**

- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : **₹ ६९१,५३०.००**

- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं) **हाँ**

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

जनरित में सहभाविती जाती है

स्थान: **पाठी**

तारीख:

मुद्रा

हस्ताक्षर नाम

राजनीति पाठी
उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा
प्रबन्धित वन प्रभाग
द्वारा

प्रारूप-४

भाग-३

28. क्या रथल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

रथानः

तारीखः

हस्ताक्षर

नाम शासकीय मुद्रा

“प्रारूप ग”

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा 2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्रारूप।

खनन / चुगान हेतु आवेदन

भाग-१

(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना के ब्यौरे :— जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला गढ़ी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (4.00 किमी)
- (i) प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे
- (ii) प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्रास्थिति
- (iii) आवेदन करने वाले व्यक्ति नाम, पदनाम और पता
- (iv) प्रयोक्ता अभिकरण के निमित आवेदन करने के लिये इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकरण के समर्थन में दस्तावेज (हाँ/नहीं)
- (v) खोजी जाने वाली खनिज वस्तु
- (vi) दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा
- (vii) प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञापित की मंजूरी के लिये सबद्ध यथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे
- (viii) पूर्वेक्षण पट्टे में सम्मिलित सम्मिलित वन और गैर वन भूमि के ब्यौरे
- (ix) पूर्वेक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र
 - (क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
 - (ख) वन भूमि में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
- (x) कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं:
- (xi) परियोजना की प्राककलित लागत :

(xii) ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रास्थिति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है उपयोजित वन भूमि का ब्यौरा :

(xiii) प्रत्येक मामले में पूर्वक्षण की चालू प्रास्थिति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वक्षण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे :

2. संलग्न मानचित्रों का ब्यौरा

(i) पूर्वक्षण ब्लाक की सीमा दर्शित करने वाले 1:50000 स्केल के मूल में स्थल परतों का भारतीय सर्वेक्षण, पूर्वक्षण ब्लाक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमा ; प्रत्येक नमूने प्लाट की अवस्थितियाँ छेदन उपस्करणों के परिवहन के लिए उपयोजित होने वाले वेध छिद्र स्थल सङ्कों या पथमार्ग (साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वक्षण आदि में पहचान की गई भूमि की सीमा से (10 किमी) की दूरी पर अवस्थित संरक्षित क्षेत्र

टिप्पण 1 यदि 1:50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण स्थलपरत उपलब्ध नहीं हो तो विशेषतः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप अवस्थित क्षेत्र के मामले और भारत स्थलपरत के सर्वेक्षण के रथान पर अन्य रणनीतिक अवस्थितियाँ सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2 तकनीकी कारणों से पूर्वक्षण क्रियाकलाप करते समय, प्रयोक्ता अभिकरण 300 मीटर तक वेध-छिद्र नमूने प्लाट खंड या पथ आदि की अवस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं परन्तु उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में वही दी गई संख्या से अधिक नहीं होगी।

3. (i) वन भूमि में पूर्वक्षण के लिए न्यायोचितता :

(ii) जांच किए गए विकल्पों के ब्यौरे :

(iii) गैर आक्रामक पूर्वक्षण क्रिया कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो

4. अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वक्षण के लिए पहचान की गई वन भूमि अवस्थित है (हाँ / नहीं)

5. वन भूमि में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रिया कलापों के ब्यौरे :

(i) सतह नमूने

(क) ग्राह प्रतिचयन

(ख) चिप प्रतिचयन

(ग) खांचा प्रतिचयन

(घ) चैनल प्रतिचयन

(ङ.) प्रपुंज प्रतिचयन

(च) पक्षित अंतरालन नमूने सहित भू रसायन ग्रिड प्रतिचयन

(ii) गड्डा या खाई बनाना

(क) गड्डों या खाइयों की संख्या और व्यास

(ख) उत्खनन की कुल मात्रा

(ग) गड्डों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र

(iii) वेधन

(क) वेध छिद्रों या कुओं की संख्या और व्यास

(ख) वेध छिद्र या कुओं का अंतरालन

- (ग) प्रत्येक विधिछिद्र या कुओं पर अस्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र
- (घ) प्रत्येक वेधछिद्र या कुओं पर स्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है
- (ड) वेध छिद्रों या कुओं का मापन
- (च) वेधन कोर नमूनों की संख्या
- (छ) वेधन कोर नमूनों की संख्या
- (iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण
- (क) निर्माण किए जाने वाली सड़कों या पथों की लंबाई और चौड़ाई
- (ख) सड़कों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
- (व) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विवरित करें)

6. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(i) सतह प्रतिचयन :

(ii) गड्ढा या खाई बनाना:

(iii) वेधन :

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विवरित करें) :

कुल :

7. निम्नलिखित के लिए भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र

(i) सतह प्रतिचयन :

(ii) गड्ढा या खाई बनाना :

(iii) वेधन :

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विवरित करें) :

कुल :

8. पूर्वक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपरकरों के ब्यौरे-

क्रम सं०	उपरकर या मशीनरी का नाम	कर्षण का ढंग	आकार (एल X बी X एच)	प्राक्कलित विनियोजन (मशीनी घटे)	अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)

9. वन भूमि में उपरकर या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्यमान पथों या सड़कों का ब्यौरा।

10. पूर्वक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की वन भूमि में रुकने की लगभग संख्या और लगभग अवधि।

11. पूर्वक्षण के दौरान संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अयस्क और अन्य नमूनों की प्राक्कलित मात्रा का सारांश (जलीय कार्बन सैक्टर के लिए लागू नहीं)

क्रम संख्या	नमूनों के बारे में	संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित मात्रा (मीट्रिक टन)

12. खनिज आरक्षण निर्धारण के लिए प्राककलित शुद्धता और आश्वस्त रसायन:

13. यदि वेध किए जाने के लिए प्रस्तावित वेधन छिद्रों की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है तो प्राककलित शुद्धता और आश्वस्त रसायन:

		शुद्धता	रसायन (%)
(i)	(10%)		
(ii)	(20%)		
(iii)	(30%)		
(iv)	(40%)		
(v)	(50%)		

14. यदि पूर्वेक्षण या अतिरिक्त वेध छिद्रों के वेधन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दें :—

(i) पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिए गए अनुमोदन के बारे में

क्रम संख्या	दिए गए अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वेक्षण (एच ए) के लिए अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमान्य अवधि	
			से	तक

(ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की प्रास्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हाँ / नहीं)
(पप्प) उल्लंघन (नो), यदि कोई किया है, के बारे में।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिए न्यायोचितता।

(अ) अभी तक किए गए पूर्वेक्षण क्रियाकलापों और संगृहीत नमूनों के बारे में।

15. संलग्न दस्तावेजों के बारे में—

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
पदनाम
पता (प्रयोक्ता अभिकरण का)
प्रस्ताव की राज्य क्रमांक संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)